अति–आवश्यक

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्य प्रदेश

क्रमांक / सी–6 / एम.आर / सेल–2 / 2021 / 563 भोपाल, दिनांक 23 / 06 / 2021

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय
   मध्यप्रदेश।

विषयः– भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05 / 05 / 2021 का पालन किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः:– संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय भोपाल का प्राप्त पत्र कमांक दि.स / 302 / 2021 / 1163 दिनांक 25 / 05 / 2021

––000––

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसमें सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय भोपाल के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05 मई 2021 एवं आदेश दिनांक 6 मई 2021 की प्रति प्राप्त हुई है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01 / 06 / 2021 से दिव्यांगता प्रमाण–पत्र केवल यूडीआईडी पोर्टल नामतः http://www.swavlambancard.gov.in पर सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (प्रति संलग्न) के अनुपालन में कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जावें।

संलग्न :– भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना

23/06/2021

अपर संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

पृ0क. / सी–6 / एम.आर / सेल–2 / 2020 / 564 भोपाल, दिनांक 23 / 06 / 2021

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय 1250 तुलसीनगर भोपाल की ओर आपके पत्र कमांक दि.स / 302 / 2021 / 1163 दिनांक 25 / 05 / 2021 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि आप अपने संभाग के जिलों की यू.डी.आई.डी. कार्ड की समीक्षा नियमित रूप से करायें।

23/06/2021

अपर संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्यप्रदेश

Disablities and udi card latter

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश
1250, तुलसीनगर पिन कोड - 462003
दूरभाष - 0755- 2556916
ई-मेल : dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/दि.स/302/2021/1163 भोपाल, दिनांक 25-05-2021

प्रति,

संचालक
स्वास्थ्य सेवाऐं
6 वां तल सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

विषय:- भारत सरकार, द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5.5.2021 का पालन किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5.5.2021

कृपया भारत सरकार द्वारा जारी संलग्न संदर्भित अधिसूचना का अवलोकन करें, जिसके अनुसार दिनांक **1.6.2021** से दिव्यांगता प्रमाण पत्र **केवल यूडीआईडी पोर्टल** नामत: http://www.swavlambancard.gov.in पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में आप अपने स्तर से समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

24/05 hon
(स्वतंत्र कुमार सिंह)
संचालक
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.
कल्याण म.प्र.

पृष्ठांकन क्र/2021/1164 भोपाल, दिनांक 25.05.2021

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

24/05 hon
संचालक
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052021-226842
CG-DL-E-05052021-226842

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1609] नई दिल्ली, बुधवार, मई 5, 2021/वैशाख 15, 1943
No. 1609] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 5, 2021/VAISAKHA 15, 1943

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई , 2021

का.आ. 1736(अ).—दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम 18 के उप नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, तारीख 1 जून 2021 को इस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख से दिव्यांगता प्रमाण पत्र केवल निर्दिष्ट यू डी आई डी पोर्टल नामतः http://www.swavlambancard.gov.in पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

[फा. सं. 38-06/2021-डीडी-III]
डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May , 2021

S.O. 1736(E).—In exercise of powers conferred by sub rule (5) of Rule 18 of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, the Central Government hereby appoints 01st day of June 2021 as the date from which the certificate of disability will only be granted on Unique Disability Identity Card Portal, namely, http://www.swavlambancard.gov.in by the competent medical authorities as notified by the States and Union Territories.

[F. No. 38-06/2021-DD-III]
Dr. PRABODH SETH, Jt. Secy.

2470 GI/2021

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Government of India
Ministry of Social Justice& empowerment
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)
DD-III Section
***

Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, New Delhi-110003
Dated the 6th May, 2021

To

1. The Principal Secretary/Secretary,
   Department of Health of all States/UTs

2. The Principal Secretary/Secretary
   Department dealing with disability matters of all States/UTs

Subject - Mandatory online certification of disability through UDID portal w.e.f. 01.06.2021- reg.

Sir/Madam,

I am directed to refer to Rule 18(5) of the Rights of Persons with Disabilities Rules 2017 which mandates that the State Government and Union territory Administration shall ensure that the certificate of disability is granted on online platform from such date as may be notified by the Central Government. In exercise of this power, the Department has issued a Gazette notification SO 1736(E) dated 05.05.2021 (copy enclosed) making online certification of disability mandatory through UDID portal w.e.f. 01.06.2021.

2. You are requested to issue appropriate instructions to all medical authorities to ensure that certificate of disability is granted only through online mode under UDID portal (www.swavlambancard.gov.in). A compliance report may be sent to this Department latest by 31.05.2021.

Yours faithfully,

Encl: As above

(K.V.S. Rao)
Director
Ph.: 011-24369054

Copy to:

1. Secretary, M/o Health and Family Welfare, Govt. of India, Nirman Bhawan, New Delhi with the request to issue instructions to all States/UTs health authorities.
2. Chief Secretaries/Administrators of all States/UTs.

अति महत्वपूर्ण

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश
1250, तुलसीनगर पिन कोड - 462003
दूरभाष - 0755- 2556916
ई-मेल : dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 भोपाल, दिनांक 6/5/2021

प्रति,

समस्त
संयुक्त / उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश

विषय:- भारत सरकार, द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5.5.2021 का पालन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5.5.2021

कृपया भारत सरकार द्वारा जारी संलग्न संदर्भित अधिसूचना का अवलोकन करें , जिसके अनुसार दिनांक **1.6.2021** से दिव्यांगता प्रमाण पत्र **केवल यूडीआईडी पोर्टल** नामत: http://www.swavlambancard.gov.in पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्त के क्रम में उल्लेखनीय है कि दिनांक **1.6.2021** से समस्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र (नवीन एवं नवीनीकरण) केवल उपरोक्त यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से ही नियमानुसार जारी किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के बाद मैनुयल प्रकिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र अमान्य होगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

संयुक्त संचालक (दि.स)
वास्ते संचालक 6/5/2021
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.

पृष्ठांकन क्र/ दि.स/2021 /1099 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त कलेक्टर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संयुक्त संचालक (दि.स)
वास्ते संचालक 6/5/2021
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052021-226842
CG-DL-E-05052021-226842

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1609] नई दिल्ली, बुधवार, मई 5, 2021/वैशाख 15, 1943
No. 1609] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 5, 2021/VAISAKHA 15, 1943

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई , 2021

का.आ. 1736(अ).—दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम 18 के उप नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, तारीख 1 जून 2021 को इस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख से दिव्यांगता प्रमाण पत्र केवल निर्दिष्ट यू डी आई डी पोर्टल नामतः http://www.swavlambancard.gov.in पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

[फा. सं. 38-06/2021-डीडी-III]

डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May , 2021

S.O. 1736(E).—In exercise of powers conferred by sub rule (5) of Rule 18 of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, the Central Government hereby appoints 01st day of June 2021 as the date from which the certificate of disability will only be granted on Unique Disability Identity Card Portal, namely, http://www.swavlambancard.gov.in by the competent medical authorities as notified by the States and Union Territories.

[F. No. 38-06/2021-DD-III]

Dr. PRABODH SETH, Jt. Secy.

2470 GI/2021

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA